

जन-वश्वास अभियान 2026 भोपाल में 1 ही दनि में सुलझेंगी सारी समस्याएँ!

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> जन-वश्वास अभियान 2026 भोपाल में शकियतों के त्वरति समाधान की वशिष पहल...
- >> प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन...
- >> जनता को मलि रही बड़ी राहत...
- >> शविरि का समय और स्थान पंचशील नगर में कहाँ लगेगा कैप?...
- >> स्थान और समय की पूरी जानकारी...
- >> अधिकारियों की शत-प्रतशित उपस्थिति अनिवार्य...
- >> लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन जिला प्रशासन और कलेक्टर के नरिदेश...
- >> वर्षों से लंबति प्रकरणों पर प्राथमिक ध्यान...
- >> जम्मेदारी तय होगी और होगी दंडात्मक कार्रवाई...
- >> सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई लंबति प्रकरणों का मौके पर नपिटारा...
- >> शकियतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान...
- >> लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नपिटारा...
- >> नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा राजस्व से जुड़े मामलों का त्वरति समाधान...
- >> अवविदति मामलों का तुरंत ऑन-द-स्पॉट नपिटारा...
- >> किसानों के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID)...
- >> आयुष्मान कार्ड, समग्र e-KYC और फार्मर आईडी एक ही स्थान पर मलिंगी सेवाएँ...
- >> आयुष्मान भारत कार्ड पंजीयन...
- >> समग्र आईडी ई-केवाईसी (e-KYC) सुवधि...
- >> पीएम आवास और जल जीवन मशिन जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ...
- >> प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) समीक्षा...
- >> जल जीवन मशिन और अन्य नागरिक सेवाएँ...
- >> नषिर्कष...
- >> आपके सवाल, हमारे जवाब...

Jan Vishwas Abhiyan 2026: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम जनता की समस्याओं और सालों से लंबति शकियतों का त्वरति समाधान करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जन-वश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार को शहर में एक वशिष शविरि का आयोजन किया जा रहा है। इस जन-कल्याणकारी पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्त दिलाना और एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

भोपाल कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट नरिदेश जारी किए हैं कि इस कैप में आने वाले हर नागरिक की अर्जी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चाहे जमीन का नामांतरण हो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना हो, या फिर सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शकियत

का नविवरण सभी काम मौके पर ही नपिटाए जाएंगे। यदआप भी भोपाल के नविासी हैं और अपनी समस्याओं का नपिटारा कराना चाहते हैं, तो इस वशिष शविरि से जुडी सभी जानकारीं नीचे वसितार से पढ़ें।

जन-वशिवास अभयान 2026: भोपाल में शकियातों के त्वरति समाधान

मुख्यमंत्री जन-वशिवास अभयान-2026 राज्य सरकार का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सुलभ और जन-उन्मुख बनाना है। कई बार नागरिक अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए वभिन्न वभिागों के चक्कर काटते रहते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों नष्ट होता है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए इस अभयान की शुरुआत की गई है।

प्रशासनिक पारदर्शति और सुशासन

जन-वशिवास अभयान के तहत भोपाल नगर नगिम और राजस्व वभिाग के समन्वय से वशिष शविरिों का ढांचा तैयार किया गया है। इन शविरिों के माध्यम से शासन की वभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हतिग्राहयिों तक तुरंत पहुँचाया जा रहा है। नागरिक अपनी समस्याओं की status check करने के साथ-साथ मौके पर नए आवेदनों की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं।

जनता को मलि रही बड़ी राहत

इस अभयान के माध्यम से न केवल शकियातों का नविवरण किया जा रहा है, बल्कसिरकारी सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए अधिकारयिों की सीधे जवाबदेही तय की जा रही है। अगर आप भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नयिमों को गहराई से समझना चाहते हैं, तोइंडिया कोड: भारत के सभी कानून और अधनियिम अब एक ही पोर्टल पर!उपलब्ध हैं, जहाँ से नागरिक अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शविरि का समय और स्थान: पंचशील नगर में कहाँ लगेगा कैप?

यदआप भोपाल के नविासी हैं और इस शविरि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको शविरि के नश्चिति स्थान और समय की जानकारी होना आवश्यक है। जलिा प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह शविरि शुक्रवार को सुबह से आयोजति किया जाएगा।

स्थान और समय की पूरी जानकारी

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष शिविर नगर नगिम भोपाल के जोन 6 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। नीचे दिए गए विवरण के आधार पर नागरिक शिविर स्थल पर पहुँच सकते हैं:

>> तारीख एवं दिन: शुक्रवार (अभियान तिथि)

>> समय: सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ

>> स्थान: वार्ड क्रमांक-47, पंचशील नगर, लकि रोड नंबर-तीन, अटल भवन के सामने, भोपाल

>> प्रशासनिक क्षेत्र: नगर नगिम जोन 6 क्षेत्र

अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य

इस शिविर की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें संबंधित सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नहीं रह सकेगा।

लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन: जिला प्रशासन और कलेक्टर के

जनता की शिकायतों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भोपाल कलेक्टर ने सख्त तेवर दिखाए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी कड़े आदेशों में कहा गया है कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में किसी भी तरह की ढलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वर्षों से लंबित प्रकरणों पर प्राथमिक ध्यान

कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि जो शिकायतें सालों से लंबित हैं या जनिका निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं हो सका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शिविर में नपटाया जाए। अधिकारियों को सख्त हदियत दी गई है कि कागजी कार्रवाई की बजाय धरातल पर काम देखना चाहिए।

जम्मेदारी तय होगी और होगी दंडात्मक कार्रवाई

शिविर की समीक्षा के दौरान यदि किसी वभाग या अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, वभिन्न सेवाओं के latest update और आवेदनों की प्रगति की रिपोर्ट सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई: लंबित प्रकरणों का मौके पर नपिटार

मुख्यमंत्री जन-वश्वास अभियान 2026 का मुख्य केंद्र बढि सीएम हेल्पलाइन (181), जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधनियम के तहत दर्ज लंबित आवेदनों का समाधान करना है। प्रायः देखा जाता है कसीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शकियतें लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती हैं।

शकियतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है ककेवल शकियतों को जबरन बंद करना उद्देश्य नहीं है, बल्क आवेदक की संतुष्टि के साथ समस्या का गुणवत्तापूर्ण नपिटारा किया जाएगा। आवेदक सीधे शिविर में उपस्थति होकर अपने आवेदन की status जान सकते हैं और मौके पर ही अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।

लोक सेवा गारंटी अधनियम के तहत नपिटारा

लोक सेवा गारंटी अधनियम के तहत अधसूचित सेवाओं का निर्धारित समय-सीमा में नपिटारा न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य की अन्य प्रमुख खबरों और अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आपतेजस्वी प्रकाश की डायमंड रंगि का फ्लॉन्ट, शादी के मौके पर करन कुंदरा? जानें क्या है असली कहानीभी पढ़ सकते हैं।

नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा: राजस्व से जुड़े मामलों का त्वर

आम नागरकों और किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी राजस्व वभाग से संबंधित मामलों में उठानी पड़ती है। जमीन के नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के केस वर्षों तक अदालतों व तहसीलों में पेंडिंग रहते हैं। इस शिविर में राजस्व मामलों का नशिकरण सर्वोच्च प्राथमकिता पर होगा।

अवविदति मामलों का तुरंत ऑन-द-स्पॉट नपिटारा

शविरि के दौरान राजस्व अधिकारी एवं पटवारी मौके पर मौजूद रहेंगे। नमिनलखिति राजस्व सेवाओं का तत्काल समाधान किया जाएगा:

- >> अवविदति नामांतरण:जमीन व संपत्तकी खरीद-बकिरी के बाद नामांतरण की प्रक्रिया का नपिटारा।
- >> जमीन का सीमांकन:भू-माप और मेढ़ संबंधी वविदों का मौके पर समाधान।
- >> पारवारिकि बंटवारा:आपसी सहमतिसे होने वाले जमीन बंटवारे के प्रकरण दर्ज व स्वीकृत करना।
- >> राजस्व रकिॉर्ड में अमल:न्यायालयीन आदेशों का राजस्व अभलिखों में तत्काल अमल दर्ज करना।

कसिनों के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID)

कृषकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु फार्मर आईडी अत्यंत आवश्यक है। शविरि में कसिनों को फार्मर आईडी बनाने एवं खसरा-खतौनी कीPDF listप्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आयुष्मान कार्ड, समग्र e-KYC और फार्मर आईडी: एक ही स्थान पर म

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को आम जनता तक आसानी से पहुँचाने के लिए अटल भवन शविरि स्थल पर वशिष हेल्प डेस्क बनाए जाएँगे। यहाँ नागरिक एक ही जगह कई आवश्यक नागरिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

आयुष्मान भारत कार्ड पंजीयन

गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाले आयुष्मान कार्ड को मौके पर ही बनाया जाएगा। जनि पात्र नागरिकों का अभी तक कार्ड नहीं बना है, वे अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ उपस्थिति होकरapply onlineप्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं।

समग्र आईडी ई-केवाईसी (e-KYC) सुविधा

मध्य प्रदेश में वभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए समग्र आईडी का ई-केवाईसी होना अनवार्य है। शविरि में कम्प्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे जो नागरिकों का बायोमेट्रिकि व ओटीपी के माध्यम से समग्र e-KYC मुफ्त में करेंगे।

प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में प्रेरणादायी वचारों के महत्व को समझने के लिए आपगुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 85वीं पुण्यतिथि: जीवन दर्शन और अमर वचारभी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने समाज सुधार और शिक्षा पर वशिष बल दिया था।

पीएम आवास और जल जीवन मशिन: जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ

मुख्यमंत्री जन-वश्र्वास अभयान 2026 के अंतर्गत केवल वृक्तगित शकियतों का समाधान ही नहीं कयिा जाएगा, बल्क किेंद्र और राज्‍य सरकार की प्रमुख वकिसा योजनाओं की समीक्षा और क्रयान्वयन भी कयिा जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) समीक्षा

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की स्थितिकी समीक्षा की जाएगी। जनि हतिग्राहयिों की कसितें अटकी हुई हैं या जनिहें नए मकान की पात्रता जांचनी है, वे शविरि में अपना status check 2026 करवा सकते हैं और स्वीकृत मकानों की सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

जल जीवन मशिन और अन्य नागरकि सेवाएँ

हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मशिन की प्रगतिकी समीक्षा भी इस शविरि में होगी। जनि वार्डों या मोहल्लों में पेयजल आपूर्तयिा पाइपलाइन से जुड़ी समस्याएं हैं, नागरकि सीधे अधिकारयिों को अपनी शकियत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा, नगरीय प्रशासन, शकिषा और स्वास्थ्‍य वभिाग की सेवाओं की भी समीक्षा की जाएगी।

नषिर्ष

भोपाल के पंचशील नगर में आयोजति होने जा रहा मुख्यमंत्री जन-वश्र्वास अभयान-2026 का यह वशीष शविरि आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सदिध होने वाला है। एक ही स्थान पर राजस्व, स्वास्थ्‍य, नगर नगिम और जन-कल्याणकारी योजनाओं की सेवाओं की उपलब्धता से नागरकिों के समय और पैसे की बचत होगी।

यदआपकी भी सीएम हेल्पलाइन पर कोई शकियत लंबति है, या आपको आयुष्मान कार्ड, समग्र e-KYC, नामांतरण अथवा पीएम आवास योजना से संबंधति कार्य करवाना है, तो शुक्रवार सुबह 10 बजे अटल भवन, पंचशील नगर स्थति शविरि में अवश्य पहुँचें और इस सरकारी पहल का पूरा लाभ उठाएं।

आपके सवाल, हमारे जवाब

यह शविरि शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे से वार्ड क्रमांक-47, पंचशील नगर, लकि रोड नंबर-तीन स्थति अटल भवन के सामने (जोन

6 क्षेत्र) आयोजित किया जाएगा।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित समाधान करना है।

हाँ, शिविर में अवविदित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और कोर्ट आदेशों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने की सुविधा ऑन-द-स्पॉट उपलब्ध होगी।

जी हाँ, पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर मौके पर ही अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं।

समग्र ई-केवाईसी कराने के लिए नागरिकों को अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड (लकि मोबाइल नंबर के साथ) लेकर शिविर में जाना होगा।

हाँ, शिविर में किसानों के लिए फार्मर आईडी तैयार करने और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अलग काउंटर रहेगा।

कलेक्टर के सख्त निर्देशों के अनुसार, अनुपस्थिति या लापरवाह अधिकारियों की तुरंत जम्मेदारी तय की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

जी हाँ, पीएम आवास योजना के लाभार्थी अपने आवेदन की प्रगत और रुकी हुई कसितों से जुड़ी जानकारी शिविर अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर में राजस्व, नगर नगिम (जोन 6), स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।

हाँ, मुख्यमंत्री जन-वश्वास अभियान-2026 के तहत भोपाल जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जोनों और वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।